कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री एम0 टेक इननोवेशन लिमिटेड, एस-91, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**002 / 14, 06.01.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री जी0 के0 शाह, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री एम0 टेक इननोवेशन लिमिटेड, एस-91, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ द्वारा दिनांक 06.01.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत smart card based driving license एवं printing of election cards पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री जी0 के0 शाह, विद्वान अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए सर्वश्री उड़ीसा स्माल इण्ड0 कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा (2009) 23 VST55 के वाद में माननीय उड़ीसा हाई कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय का हवाला देते हुए कहा गया कि उपरोक्त कार्यों में प्रयुक्त स्किल एवं लेबर के सापेक्ष प्रयुक्त मैटीरियल का मूल्य नगण्य है। अत: यह sale of goods न होकर contract for work and labour है।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-367, दिनांक 19.06.2015 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी को सर्वश्री नेशनल इंफोर्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इंक. द्वारा सेलेक्टड वेन्डर के रूप में इन्पैनल करते हुए इन्पैलमेन्ट संख्या-10 (36) / 2010-NICSI, दिनांक 15.12.2010 जारी किया गया है, जिसके एनेक्जर-1 में कार्ड की संख्या के आधार पर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट तथा कार्ड प्लस प्रिन्टिंग कॉस्ट अलग-अलग दर्शायी गयी है। कार्ड प्लस प्रिन्टिंग कॉस्ट के रूप में रु0 33.80 प्रति कार्ड का मूल्य निर्धारित है। उक्त कार्ड व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर से प्रान्त भीतर आयात किया गया है। व्यापारी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा रॉ स्मार्ट कार्ड प्रान्त बाहर स्थित हेड ऑफिस से प्रान्त भीतर स्टॉक ट्रान्सफर के माध्यम से प्राप्त किया गया है। उक्त कार्ड व्यापारी द्वारा प्रान्त बाहर से आयात कर संविदा कार्य में उसका अन्तरण मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त करते हुए किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा प्रस्तुत इन्वाइस संख्या-U.P./0010, दिनांक 11.04.2013 तथा U.P./0021, दिनांक 31.05.2013 से यह स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस के अतिरिक्त कार्ड तथा प्रिन्टिंग के मद में रु0 33.80 प्रति कार्ड की दर से उसके अन्तरण पर मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया जा रहा है। अत: संविदा कार्य में प्रिटेन्ड कार्ड का अन्तरण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा में आता है, जिस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-100 के अनुरूप करदेयता है। उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा सन्दर्भित वाद में उल्लिखित मामले की Terms and

....2

Condition प्रश्नगत मामले की Terms and Conditions से भिन्न है । प्रश्नगत मामले में मैटेरियल की कॉस्ट का मूल्य नगण्य नहीं है, अपितु व्यापारी द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस पर किये जा रहे व्यय से अधिक है जैसा कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत इन्वाइसों एवं इन्पैलमेन्ट संख्या-10 (36) / 2010-NICSI, दिनांक 15.12.2010 के एनेक्जर-1 से स्पष्ट है । व्यापारी द्वारा प्राप्त कान्ट्रैक्ट में प्रयुक्त किये गये कार्ड पर व्यय इन्सीडैन्टल भी नहीं क्योंकि व्यापारी को निर्धारित (Specified) SCOSTA SMART CARD का ही प्रयोग कान्ट्रैक्ट की शर्तों के अन्तर्गत अनुमन्य है ।

व्यापारी को चुनाव कार्यालय, उत्तर प्रदेश सरकार से Election Cards की प्रिन्टिंग का आर्डर प्राप्त हुआ है जिसके सम्बन्ध में व्यापारी का कथन है कि राज्य सरकार Unprinted PVC EPIC उपलब्ध करायेगी तथा व्यापारी Chief Election Officer द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार प्रिटिंग करेंगे । इस कार्य में व्यापारी द्वारा workforce और हार्डवेयर उपलब्ध कराते हुए कार्डों की प्रिटिंग की जायेगी । परन्तु इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा केवल workforce तथा हार्डवेयर मात्र ही उपलब्ध नहीं कराया जायेगा क्योंकि व्यापारी द्वारा जो प्रिटिंग का कार्य किया जायेगा वह एक Specialised प्रिटिंग का कार्य है, जिसके लिए एडवांस हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होती है । व्यापारी द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया गया है कि प्रश्नगत कार्य Specialised कार्य है जिसके लिए वह Empanelled Vendor है । अत: प्रश्नगत प्रिटिंग के कार्य पर जो मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया जा रहा है, जिसमें प्रिटिंग में प्रयुक्त होने वाले माल का अन्तरण भी सम्मिलित है, वह नगण्य नहीं है । व्यापारी द्वारा Chief Election Commissioner द्वारा दिये गये निर्देशों व उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार प्रिटिंग की जानी है । व्यापारी द्वारा सन्दर्भित वाद में उल्लिखित मामले की Terms and Conditions प्रश्नगत मामले की Terms and Conditions से भिन्न है क्योंकि प्रश्नगत मामले में प्रिटिंग कास्ट जिसमें अन्तरित मैटेरियल का भी मूल्य सम्मिलित है, नगण्य नहीं है । उल्लेखनीय है कि समान मामले में ड्राइविंग लाइसेन्स की प्रिटिंग के मद में व्यापारी द्वारा रु0 33.80 प्रति कार्ड की दर से उसके अन्तरण पर मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया जाना स्वयं स्वीकार किया गया है ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा संविदा कार्य में प्रिटेन्ड कार्ड का अन्तरण मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त करते हुए किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा में आता है जिस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-100 के अनुरूप करदेयता है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि जहॉ तक smart card based driving license पर करदेयता का प्रश्न है, प्रार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि कार्ड + प्रिन्टिंग कॉस्ट के रूप में रु0 33.80 प्रति कार्ड का मूल्य संविदी द्वारा निर्धारित है । NICSI द्वारा सारथी प्रोजेक्ट के अन्तर्गत केवल सॉफ्टवेयर प्रश्नगत कम्पनी को प्रोवाइड किया जा रहा है तथा प्रार्थी द्वारा स्थापित इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग करते हुए कार्ड को प्रिन्ट करके RTO को हैन्डओवर किया जाता है । प्रिन्टिंग हेतु कार्ड भी प्रार्थी द्वारा अपने हेड ऑफिस से आयात किया जाता है । इस प्रकार कार्ड एवं प्रिन्टिंग कॉस्ट के मूल्य का वहन प्रार्थी द्वारा किया जाता है तथा

....3

RTO को निर्धारित सॉफ्टवेयर से प्रिन्ट करके प्रिन्टेड कार्ड की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार प्रार्थी एवं RTO के मध्य प्रिन्टेड smart card based driving license का अन्तरण हाता है, जो बिक्री की परिभाषा में आता है तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-100 के अनुसार करदेयता होनी चाहिए।

जहॉ तक printing of election cards का प्रश्न है, सरकार द्वारा unprinted PVC EPIC प्रार्थी को प्रिन्टिंग हेतु प्रोवाइड किया जाता है तथा मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा प्रोवाइड किये डाटा को उक्त कार्ड पर प्रिन्ट करना होता है। इस संव्यवहार में प्रार्थी द्वारा केवल वर्क फोर्स एवं हार्डवेयर ही नहीं उपलब्ध कराया जाता, बल्कि Specialised skill एवं सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए प्रिन्टिंग का कार्य किया जाता है। प्रिन्टिंग के कार्य पर जो मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया जा रहा है, उसमें प्रिन्टिंग में प्रयुक्त होने वाले माल का अन्तरण भी सम्मिलित है, जो नगण्य नहीं है। उपरोक्त कार्य संविदा के निष्पादन में प्रयुक्त माल के अन्तरण के मूल्यवान प्रतिफल को दृष्टिगत रखते हुए करदेयता निर्धारित होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा में यह कार्य आता है तथा तद्नुसार अन्तरित माल के अनुसार करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा किये जा रहे उपरोक्त दोनों कार्य संविदी से प्राप्त संविदा का निष्पादन है। smart card based driving license की संविदा में कार्ड तथा प्रिन्टिंग दोनों कार्य प्रार्थी द्वारा किया जाता है एवं election cards की प्रिन्टिंग में अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए Specialised प्रिन्टिंग की जाती है। उपरोक्त दोनों कार्य उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत बिक्री की परिभाषा में आता है। प्रथम कार्य में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-100 के अनुसार करदेयता होगी तथा द्वितीय कार्य में अन्तरित माल के अनुसार करदेयता निर्धारित की जाएगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 04 दिसम्बर, 2015

ह0 / 04.12.2015

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।